उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दि. 25.12.20 को पेश हो।

पेशकार
उपखण्ड अधिकारी मांडल

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक .... को पेश हो।

उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 6.1.21 को पेश हो।

पेशकार
उपखण्ड अधिकारी मांडल

/21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, उभयपक्ष बहस हेतु अवसर चाहते हैं बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। वास्ते पत्रावली उभयपक्षों की बहस हेतु नियत दिनांक 21.1.21 को पेश हो।

/2 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 2.2.21 को पेश हो।

/21 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, अप्रार्थी सं. 1, 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, वकील प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रा[र्थना पत्र स्वीकार किये] जाने की इच्छा ज[ाहिर की]।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। न्यायालय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर अंकित पत्रावली किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

किसी सखा। 21 को ... से पत्र (16) विनिवेश ... अपरिहार्य ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:47:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

न अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस

सख्या – 93/20 प्रा०पत्र

श्री दिलिप s/o श्री हरिकिशन चन्दवानी निवासी- A-89 आरजीनगर भीलवाड़ा [वगैरा]

–प्रार्थी

बनाम

श्री शंकरसिंह s/o श्री माधु दरोगा निवासी- गुढा तहसील-माण्डल [वगैरा]
(प्रष्ठांकित प्रा०पत्र सलंग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 29-01-2021

::आदेश::

की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम.......गुढा.......पटवार हल्का.......संतोकपुरा.......तहसील माण्डल में उसके /संयुक्त खाते की आराजी नं.......611.......कुल किता.......01.......रकबा.......02.......06.......बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनाक 23-06-2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए र्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

र्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.......गुढा पटवार हल्का.......संतोकपुरा.......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 611.......कुल किता.......रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.......को.......300/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।.......विपक्षीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् को सूचित कर मौका कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.07.08 16:47:24 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस मे प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा